



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-“मिनी रत्न” कंपनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जिला: श्री गंगानगर(राज.)

फोन: 01509-220006, 220084, 223877(ऑफिस)

फैक्स: 01509-220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-“MINI RATNA” Company)

CENTRAL STATE FARM, SURATGARH

Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)

Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)

Fax: 01509-220068, 223877(Office)

क्रमांक :- सीएसएफ/एसओजी/03/मैक/08 /2014-15

दिनांक :- 06/01/2016

निविदा सूचना

1. केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ एवं सरदारगढ़ में इस वर्ष जौ, चना, जई एवं गेहूँ इत्यादि की फसलों की कटाई तथा चने की गुहाई हेतु किरायें पर कम्बाईनों व थ्रेसरों की आवश्यकता है।
2. उक्त के अतिरिक्त फार्म की कम्बाईनों को चलाने हेतु , 14 चालक व सहाय चालक की आवश्यकता है। कम्बाईन चलाना व कम्बाईन की आवश्यकता अनुसार मरम्मत देख रेख की जिम्मेवारी कम्बाईन चालक की होगी। कम्बाईन मरम्मत हेतु सामान आवश्यकतानुसार तथा डीजल फार्म द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

इच्छुक निविदाता प्रति एकड़ हिसाब की दर से दर्शाये। इच्छुक व्यक्ति 29 जनवरी 2016 को दोपहर 2:00 बजे तक फार्म मुख्यालय में उपरोक्त कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। जो उसी दिन सांय 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। दिनांक 29 जनवरी 2016 को निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट सलंग्न करें जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ़ के पक्ष में देय हों। धरोहर राशि के बिना निविदायें निरस्त कर दी जायेगी। असफल निविदादाताओं को जमा की गई धरोहर राशि वापिस कर दी जायेगी। निविदा प्रपत्र , नियम व शर्तों की प्रति किसी भी कार्य दिवस में यांत्रिक अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रबन्धक (यांत्रिक)
कृते निदेशक

प्राइवेट कम्बाईन हारवेस्टर व मानव शक्ति उपलब्ध कराने हेतु नियम व शर्तें

1. निविदादाता के पास अपना पैन कार्ड होना अनिवार्य है। भुगतान के लिए बैंक खाता व बैंक शाखा का नाम देना अनिवार्य है, ताकि भुगतान के समय किसी प्रकार की दुविधा न हो।
2. निविदादाता द्वारा रुपये 10,000/- धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सूरतगढ के पक्ष में देय होना चाहिए जो निविदा देने से पूर्व फार्म खजांची के पास जमा करवानी होगी असफल निविदादाताओं को धरोहर राशि के बिना बिना ब्याज वापिस कर दी जायेगी। यदि निविदादाता अनुबन्ध के नियम व शर्तों का पालन करने में विफल रहती है या जनशक्ति की आपूर्ति की निर्धारित अवधि से अधिक विलम्ब होता है या कार्मिक प्रदान करने वाली निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाई गई जनशक्ति द्वारा लगातार अनुपस्थित होने पर या कदाचार करने पर जमा सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जायेगा जमा सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि सुरक्षा के रूप में रख ली जायेगी।
3. प्रारम्भ में अनुबन्ध कटाई के दौरान है यदि कटाई व जनशक्ति प्रदान करने वाली निविदादाता की सेवाएं असंतोषजनक रहने की स्थिति में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सूरतगढ का सक्षम अधिकारी अपने विवेक से शीघ्र नोटिस पर अनुबन्ध समाप्त कर सकता है।
4. सुरक्षा, जोखिम अक्षमता वैचारिक मतभेद और गोपनीयता भंग करने या अनुचित आचरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सूरतगढ द्वारा अस्वीकार्य कर्मों का कार्यालय से लिखित नोटिस प्राप्त होते ही तुरन्त जनशक्ति प्रदाता करने वाली संस्था / ठेकेदार उक्त कर्मों को अविलम्ब कार्य से हटाकर तुरन्त नये कर्मों उपलब्ध करवाना होगा।
5. चालक प्रदान करने वाली एजेन्सी द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के निजी सामान, उपकरण या वाहन की चोरी क्षति या डकैती के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सूरतगढ की जिम्मेवारी नहीं होगी।
6. संस्था ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये कम्बाईन व ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से यदि किसी ट्रैक्टर / मशीन का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिल से की जायेगी नुकसान का आंकलन करने निर्देशक महोदय के द्वारा गठित कमेटी से करवाया जायेगा और इस संदर्भ में निर्देशक महोदय का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।
7. चालक प्रदान करने वाली निविदादाता द्वारा नियुक्त कर्मियों को कार्य स्थल पर सौंपे गये कार्य करते हुए सौहार्दपूर्ण सकारात्मक एवं कुशल होना चाहिए और उनके कार्य सद्भावना को बढ़ावा दे और इस निगम की छवि में सुधार करे। जनशक्ति प्रदान करने वाली एजेन्सी द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य के लिए निविदादाता खुद जिम्मेदार होगा।
8. जनशक्ति प्रदान करने वाली निविदादाता के कर्मों कार्यालय के विवरण संचालन प्रक्रिया तकनीकी खुलासे सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक संगठनात्मक मामलों को किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट या खुलासा नहीं करेगे।
9. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संविदा श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 न्युनतम मजदूरी अधिनियम कर्मकार मुआवजा अधिनियम और समय समय पर लागू कानूनों नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन का वैधानिक दायित्व सिर्फ और सिर्फ चालक प्रदान करने वाली निविदादाता का होगा।
10. तैनात व्यक्ति को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सूरतगढ के खिलाफ कर्मचारी नियुक्त संबंध एवं स्थायी रोजगार के लिए दावा करने का हक नहीं होगा। इस विषय में हमारे साथ नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति से वचनबन्ध प्राप्त कर ले।
11. चालक प्रदान करने वाली निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये चालकों के पास वैध ड्राइवींग लाईसेंस का होना आवश्यक है।
12. मानव शक्ति प्रदाता संस्थान व निविदादाता का दिया गया कार्य आदेश संस्थान द्वारा किसी अन्य संस्था को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
13. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये कामगारों को निगम की और से भोजन, आवागमन संसाधन चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध नहीं करवायी जायेगी। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित मानव शक्ति प्रदाता संस्था की होगी।
14. ठेकेदार / संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कामगार निगम की जरूरत व आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाये जायेगे। जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार घटायी/बढ़ायी जा सकती है। चालक समय पर न उपलब्ध कराने की स्थिति में फार्म को यह अधिकार होगा कि वह चालक की उपलब्धता की वजह से हुये नुकसान की भरपाई मानव शक्ति प्रदाता संस्था से कर सकेगा।
15. मानव शक्ति प्रदाता व निविदादाता संस्था बिलों का भुगतान 15 दिन पर टैक्स काटकर देय होगा।
16. (सर्विस टैक्स) की राशि निविदादाता संस्था द्वारा बिल में क्लेम करने पर ही फार्म द्वारा देय होगा।
17. निविदादाता व निगम के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मामला आर्बिट्रेशन हेतु अध्यक्ष –सह-प्रबन्धक निदेशक राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनके द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित / मनोनित व्यक्ति के द्वारा किया गया निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम व मान्य होगा एवं उनके साथ किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र सूरतगढ होगा।
18. मानव शक्ति प्रदाता संस्था व निविदादाता द्वारा प्रदत्त चालक / कामगारों को नियमित रूप से भुगतान करेगा तथा उसकी मासिक रिपोर्ट (श्रमिकों चालकों को किए गये पिछले 15 दिन के भुगतान की प्रमाणित रसीद अथवा बैंक खाते का विवरण बिल के साथ) नियमित रूप से फार्म को देगा।
19. मानव शक्ति प्रदाता संस्था व निविदादाता द्वारा लगाए गये श्रमिकों या चालकों के साथ फार्म में कार्य करने के दौरान यदि कोई हादसा या दुर्घटना होती है तो उसके लिए मानव शक्ति प्रदाता संस्था ही पूर्णरूपेण जिम्मेवार होगी।
20. कम्बाईन चलाना व कम्बाईन की आवश्यकतानुसार मरम्मत देख रेख की जिम्मेवारी कम्बाईन चालक की होगी। कम्बाईन मरम्मत हेतु सामान आवश्यकतानुसार तथा डीजल फार्म द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

उपरोक्त नियम व शर्तें मेरे द्वारा पढ़कर समझ ली गई है व मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

आवेदक

(हस्ताक्षर मय मोहर)

